सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फा0ट्रै0) नगर

पीठासीन अधिकारी :— राजवीरसिंह यादव आर0ए0एस0
मुकद्मा नम्बर :— 57/2017

1. शेरखॉ 2. आसीन खॉ	पिस0 बोदन जाति मेव निवासी कंगला का बास फूटाकी तह0 नगर

वादीगण

बनाम

1. **तहसीलदार तहसील नगर**
2. **राजस्थाान सरकार जरिए जिला कलक्टर भरतपुर**

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88—89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित —

1. **श्री जाकिर हुसैन, अधिवक्ता वादीगण**
2. **पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार नगर**

निर्णय दिनांक 06/12/2017

वादीगण ने यह दावा इस आश्य का संस्थित किया है कि वि0आ0ख0नं0 3020/0.27, 3077/0.34, 3219/0.13, 3614/0.55 का सालिम एवं 3252/0.16, 3696/0.19 का 1/2 हिस्सा बाके ग्राम फूटाकी तह0 नगर वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर वादीगण अरसा करीब 50 साल काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं जो वादीगण के पूर्वजों की पुश्तैनी आराजी है । वादीगण को उक्त आराजी की बावत् राज0 काश्त0 अधि0 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं लेकिन राजस्व रिकार्ड में वादी0 को गैर खातेदार दर्ज कर रखा है । वादीगण वि0आ0पर अपने आपको खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं । प्रतिवादीगण ने दिनांक 16.05.17 को वि0आ0 पर वादी0 को खातेदार दर्ज नही करने तथा आराजी से बेदखल करने की धमकी दी है । विदि वहज वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं । अंत में निवेदन किया है कि दावा वादी0 डिक्री फरमाया जाकर वादी0 को वि0आ0 पर गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रति0 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी0 को तलब किया गया । प्रति0 का जबाव दावा इस आशय का प्रस्तुत हुआ है कि वादी0 का दावा पुराने राजस्व रिकार्ड की नकलों के अभाव में साबित नही होता है तथा वादी0 ने दावा दायरी से पूर्व दफा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस नही दिया है जिससे दावा काबिले खारिज है । अंत में निवेदन किया है कि दावा वादी0 मय खर्चा खारिज फरमाया जावे ।

दावा एवं जबाव दावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की जाती है –

1. आया वादीगण वि0आ0 वर्णित वाद पत्र की मद संख्या 2 के 1/2 हिस्सा पर गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं ? –– जिम्मे वादी0
2. आया वादी0 वि0आ0 की बाबत् प्रतिवादी0 के विरूद्ध डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी हैं ? –– जिम्मे वादी0
3. आया वादीगण ने दावा दायरी से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस नही दिया है जिससे दावा काबिल खारिज है ? –– जिम्मे प्रति0
4. आया दावा वादीगण रिकार्ड के अभाव में काबिल खारिज है ? –– जिम्मे प्रति0
5. दादरसी ?

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी सं0 2068–71 प्रदर्श–1, नकल खेवट खतोनी सं0 2008 किता – 14 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सं0 2016–19 किता–5 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी भू प्रबंध विभाग किता–4 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी सं0 2024–27 प्रदर्श–5, नकल खसरा पत्रक किता–6 प्रदर्श–6, नकल जमाबंदी सं0 2048–51 किता–2 प्रदर्श–7, नकल जमाबंदी सं0 2052–55 किता–2 प्रदर्श–8, नकल जमाबंदी सं0 2056–59 किता–2 प्रदर्श–9, नकल जमाबंदी सं0 2060–63 किता–2 प्रदर्श–10, नकल जमाबंदी सं0 2064–67 किता–2 प्रदर्श–11, नकल जमाबंदी सं0 2072–75 किता–2 प्रदर्श–12, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2033–36 किता–6 प्रदर्श–13, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2048–51 प्रदर्श–14, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2052–55 प्रदर्श–15, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2056–59 प्रदर्श–16, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2060–63 प्रदर्श–17, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2064–67 प्रदर्श–18, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2069–71 प्रदर्श–19, नकल जमाबंदी सं0 2020–23 किता–3 प्रदर्श–20, नकल जमाबंदी सं0 2024–27 किता–2 प्रदर्श–21, नकल जमाबंदी सं0 2016–19 किता–3 प्रदर्श–22,

नकल जमाबंदी सं0 2012–15 प्रदर्श–23, नकल जमाबंदी सं0 2044–47 किता–2 प्रदर्श–24, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2044–47 प्रदर्श– 25, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2025–28 किता–3 प्रदर्श–26, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2033–36 किता–5 प्रदर्श–27 दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में वादी शेरखां पीडब्ल्यू–1, गवाह आसू पीडब्ल्यू–2 इस्माईल पीडब्ल्यू–3 के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं ।

हमने उभय पक्ष की वहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया । नकल जमाबंदरी सं0 2068–71 प्रदर्श–1 के खाता संख्या 603 में आ0ख0नं0 3020/0.27, 3077/0.34, 3215/0.13, 3614/0.55 की बावत् – ''शेरखां, आसीन पि0 बोदन कौम मेव सा0देह बहि0बरा0 गैरखातेदार '' दर्ज है तथा खाता संख्या 602 पर आ0ख0नं0 3252/0.16, 3595/0.15, 3596/0.19 की बावत् – ''शेरखां , आसीन पि0 बोदन बहि0बरा0 1/2 हि0 पर गैरखातेदार दर्ज होना पाया जाता है तथा नकल जमाबंदी सं0 2064–67 प्रदर्श–11? नकल जमाबंदी सं0 2048–51 प्रदर्श–7, नकल जमाबंदी सं0 2057–55 प्रदर्श–8, नकल जमाबंदी सं0 2056–59 पदर्श–9 नकल जमाबंदी सं0 2060–63 प्रदर्श–10, नकल जमाबंदी सं0 2064–67 प्रदर्श–11, नकल जमाबंदी सं0 2072–75 प्रदर्श–12 में वि0आ0 की बावत् वादीगण का नाम गैरखातेदार की हैसियत से दर्ज होना पाया जाता है । नकल खसरा पत्रक भू प्रबंध विभाग प्रदर्श–6 के अनुसार हाल ख0नं0 3219, 3614, 3595, 3596 साविक आ0ख0नं0 2258, 2252, 2754, से मिलकर बनाया जाना साबित होता है तथा हाल खसरा नम्बर 3020, 3077,3252 का मिलान क्षेत्रफल पत्रावली में उपलब्ध नही होने के कारण उनके साविक नम्बरान का पता नही लगाया जा सकता । नकल जमाबंदी भू–प्रबंध विभाग सं0 2036 में आ0ख0नं0 3252/0.16, 3595/0.15, 3596/0.19 की बावत् – ''बोदन पुत्र वजीर हि0 1/2, अब्दुल, सम्पति, माना, नब्बा, हुसैना पिस0 उमराव स.भा.हि. 1/4, छोटे खॉ पुत्र वजीर हि0 1/4 जाति मेव सा.देह गैर खातेदार '' तथा ख0नं0 3020/0.27, 3077/0.34, 3219/0.13, 3614/0.55 की बावत् – ''बोदन पुत्र वजीर कौम मेव सा0देह गैरखातेदार दर्ज होना पाया जाता है । नकल जमाबंदी सं0 2024–27 प्रदर्श–5 के साविक ख0नं0 2252, 2754 की बावत्– ''बोदन वल्द वजीर कौम मेव सा0देह गैरखातेदार साल 19 दर्ज होना पाया जाता है । इस प्रकार उक्त समस्त राजस्व रिकार्ड के विवेचनानुसार विवादित आराजी वादीगण एवं पूर्वजों की कब्जे काश्त की आराजी है जिसमें वे बतौर गैरखातेदार दर्ज है । विवादित आराजी कस्टोडियन भूमि है जिस पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पृथक से नियम बनाये हुए हैं तथा वादीगण

इन नियमों के तहत ही खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है । इस विवेचनानुसार वादीगण अपने वाद को साबित करने में असफल रहे हैं तथा कस्टोडियन भूमि पर खातेदारी प्राप्त करने हेतु वादीगण शासन सचिव राजस्व ग्रुप–10 पुनर्वास विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र क्रमांक/प.–1(15)राज0पुनर्वास/2009 जयपुर दिनांक 30.03.2012 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन करें । अतः आदेश है कि –

दावा वादीगण खारिज किया जाता है । इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर

निर्णय आज दिनांक 06/12/2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीरसिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर